उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 22/2022–23

ताजमहल स्वयं सहायता समूह पंचायत शहरपुर.....अपीलकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड सरकार.....उत्तरकारी।

आदेश

02.12.2022

यह रे0मि0 अपील वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के आदेश ज्ञापांक– 1146/जि0आ0, दिनांक–14.10.2022 के विरूद्ध में दायर किया गया है, जिसमें ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या–42/09 को रद्द किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरकारी राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

ताजमहल स्वयं सहायता समूह पंचायत शहरपुर प्रखंड–शिकारीपाड़ा को जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति निर्गत है, जिसका अनुज्ञप्ति सं0–42/09 है। उनके विरूद्ध सेकड़ो ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक–1246/गो0, दिनांक–09.10.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय IV के कंडिका 20 का सरासर उल्लघंन किया गया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक एवं दिकभ्रमित होने के कारण उनके अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, सुरजमुखी स्वयं सहायता समूह ग्राम–कोवामहल पंचायत ताराचुऑ के साथ संबंध किया गय, तत्पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा के अनुशंसा के आलोक में ताजमहल स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निलंबन से मुक्त किया गया। पुनः अंचल अधिकारी सह– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा के पत्रांक–944/आ0 दिनांक–13.10.2022 के द्वारा ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति

सं0–42/09 ग्राम+पंचायत–शहरपुर की दुकान की जॉच आवेदिका खुतेजा बीबी एवं अन्य 199 ग्रामीण मौजा शहरपुर एवं आवेदिका फुलमुनी लोहार एवं अन्य 109 ग्राम–चन्दनगड़िया का आवेदन पत्र का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख है कि ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कड़ी चेतावनी के साथ एक मौका प्रदान करते हुए अनुज्ञप्ति सं0–42/09 ग्राम–शहरपुर को निलबंन से मुक्त किया गया है। निलबंन के बावजूद इनके आचरण में कोई बदलाव नहीं है। इनका कार्यशैली एवं आचरण अच्छा नहीं है, साथ ही प्रत्येक कार्डधारियों को 2–3 कि0ग्राम0 खाद्यान्न की कटौती की जाती है। इस प्रतिवेदन के आलोक में ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध ग्रामीण राजनीतिक के तहत् आवेदन दाखिल किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गई है, जो नियम के अनुकुल नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

उत्तरकारी राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाया गया आरोप जॉचोपरांत सही पाया गया है। कड़ी चेतावनी के साथ एक मौका प्रदान करते हुए अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त किया गया है। निलंबन के बावजूद इनके आचारण में कोई बदलाव नहीं है। इनके कार्यशैली एवं आचरण अच्छा नहीं है, साथ ही प्रत्येक कार्डधारियों को 2–3 कि0ग्रा0 खाद्यान्न की कटौती की जाती है।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश सही है। अपील आवेदन को निरस्त किया जाय।

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सूनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली

विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द आदेश ज्ञापांक– 1146/जि0आ0 दिनांक– 14.10.2022 के पारित के पूर्व अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकरण की मांग नहीं किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय (Natural Justic) के अनुकूल नहीं है, ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश पुर्नविचार के योग्य है, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि ताजमहल स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा प्रत्येक कार्डधारियों को 2–3 कि0ग्रा0 खाद्यान्न की कटौती की जाती है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है प्रत्येक माह प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है तथा जिन्हें किया जा रहा है उनसे भी कटौती कर ली जा रही है, जो झारखण्ड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिसूचना के अध्याय–iv, कंडिका–20, उपकंडिका–XVIII (ख) के विरूद्ध है। इस अनियमितता के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द के पूर्व अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गयी है, जो नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के अनुकूल नहीं है। प्रथम दृष्टया संबंधित स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्यान्न विवरण में अनियमितता की स्थिति भी स्पष्ट होती है, परन्तु निर्गत अनुज्ञप्ति को बिना विहित प्रक्रिया के रद्द करना विधिसम्मत नहीं है। अतः संबंधित वाद को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देशित दिया जाता है कि चार सप्ताह के अंदर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आलोक में तथा विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। साथ ही अपीलकर्त्ता द्वारा प्रत्येक कार्डधारियों को 2–3 कि0ग्रा0 खाद्यान्न की कटौती किये जाने के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार स्थानीय थाना में सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में भी निर्णय लेना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.02.23 12:37:49 +05:30
Location: 169.254.227.244

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।